न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33 / 2015 (उदयपुर डिकी)

1. नारू पिता मोती जी डांगी, निवासी भुवाणा (मृतक) के बजाय :–

1/1. माणकलाल पिता नारू जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. पूरीलाल पिता नारू जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. गोपीलाल पिता नारू जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती राधा बाई पिता नारू जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2. नाथू पिता मोती जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3. दीपा पिता मोती जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

4. लोगरिया पिता मोती जी डांगी, निवासो भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

5. खेमा पिता रकबा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

6. पप्पू पिता कालू जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

7. श्रीमती राधी विधवा कालू जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री भैरूजी स्थानदेह जरिये सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)

2. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 27.01.2009 प्र.सं. 170/03

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक रे.सं. 2

———:::———

निर्णय दिनांक

30–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भुवाणा में साबिक आराजी नंबर 508 व 509 रकबा क्रमशः 19 बिस्वा व 13 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 652 रकबा 0.3700 हैक्टर है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष मोती जी के 5 पुत्र नारू, रकबा, नाथू, दीपा व लोगरिया हुए, जिसमें से रकबा का देहावसान हो चुका है, जिसके 2 पुत्र खेमा व कालू हुए, जिसमें कालू भी फोत हो चुका है, जिसके वारिस पप्पू व राधी हैं। सेटलमेन्ट के पूर्व उक्त भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी के नाम जमाबन्दी में अंकित थी तथा उनका कब्जा था, किन्तु पैमाईश के समय उक्त भूमि भैरूजी स्थानदेह के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 उक्त भूमि प्राप्त करने को तत्पर हैं इस कारण उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद वर्णित भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन में अंकित किया कि उक्त भूमि उनके द्वारा अवाप्त की जाकर उनके नाम आबादी में दर्ज है। अतः वादीगण का वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की होकर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अवाप्त की गयी है तथा उक्त भूमि का पंचाट भी जारी किया जा चुका है। अतः उक्त भूमि का श्रवणाधिकार आप न्यायालय का नहीं होने से वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन का वादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाकर सीधे बहस की गयी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 27–01–2009 से प्रतिवादी संख्या 2 का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार करते हुए वादीगण का इसी स्तर पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–08–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 नगर विकास प्रन्यास की ओर से उनके अधिवक्ता श्री नरपत सिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई सूचना अपीलान्ट को उनके वकील द्वारा नहीं दी गयी, दिनांक 01–07–2015 को प्रथम पर जब नगर विकास प्रन्यास वाले मौके पर आये तब उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण की बहस सुनकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, तद्नुसार इतने लम्बे वर्षो तक उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं होने का कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया है कि दावा मेन्टेनेबल है अथवा नहीं। कानूनन कथित अवाप्ति मानी ही नहीं जा सकती, क्योंकि अपाप्ति के पूर्व धारा 5–ए का नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए नगर विकास प्रन्यास के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि विवादित भूमि विधिवत अवाप्त की जाकर वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपना श्रवणाधिकार मानकर जो निर्णय पारित किया है, वह विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 में विवादित भूमि श्री भैरूजी स्थान देह के नाम दर्ज है तथा वाद संख्या 813/92 दिनांक 29–02–1996 से नगर विकास प्रन्यास द्वारा पंचाट भो जारी कर दिया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने अपना श्रवणाधिकार नहीं मानकर जो निर्णय पारित किया है, उमसें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2009 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

नारू के बजाय माणकलाल डांगी, बनाम श्री भैरूजी स्थानदेह जरिये सहायक
निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
जिला उदयपुर व अन्य व अन्य

अपील नं॰.....33/2015.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....27.....माह.....01..... 2009

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....30....माह.....07.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी.....श्री संजय बोहरा.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री नरपतसिंह चुण्डावत

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2009 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....30.....माह.....07..... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।